

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11387/1056

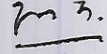
दिनांक :- 22.03.19

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती/सुश्री सीमा वर्मा [लिंक न. 11387] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 14/11/2018 से 13/12/2018 तक 30 दिवस (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)
कुल 30 दिवस

उक्त कुल 30 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती/सुश्री सीमा वर्मा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11387/1056

दिनांक :- 22.03.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा
2. कोषाधिकारी कोटा
3. श्री/श्रीमती/सुश्री सीमा वर्मा [11387] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)